

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2023-24/

दिनांक:

निमित्त:-

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषय:- पाटरी से भटगांव सडक निर्माण के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/RJ/ROAD/42427/2019 (1.5)

प्रसंग:- उप वन संरक्षक बारां का पत्रांक 1765 दिनांक 21.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र से उप वन संरक्षक बारां ने आलौच्य प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने के कारण MOEF के परिपत्र 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि का डिमांडनोट जारी कर दिनांक 31.10.2023 को प्रयौक्ता अभिकरण को आनलाईन प्रेषित किया गया। (प्रति सलंगन) जिसके प्रतिउत्तर में यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 826 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेनल (दण्डात्मक प्रावधान) परिपत्र दिनांक 29.01.2018 को जारी हुआ है तथा उक्त प्रकरण वर्ष 2008 तथा उल्लंघन की दिनांक 26.05.2008 है। परिपत्र दिनांक 29.01.2018 से पूर्व का होने के कारण (दण्डात्मक प्रावधान) अनुसार शास्ति आरोपित नहीं होने के संबंध में उप वन संरक्षक बारां द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है। कृपया इस बाबत मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करे। उक्त पत्र अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(रामकरण खेरवा)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2023-24/ 960

दिनांक: 1.3.2024

प्रतिलिपी:- उप वन संरक्षक बारां को उनके उक्त पत्रांक के क्रम में प्रेषित है।


संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा